

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 03 अंक - 04 बेमेतरा, सोमवार 17 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर किया नमन

अटल के संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को दी नई पहचान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने अटल के विराट व्यक्तित्व, राष्ट्रसेवा और छत्तीसगढ़ निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल छत्तीसगढ़ के निर्माता और प्रदेशवासियों की भावनाओं को सम्मान देने वाले महान राष्ट्रायक थे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उनके दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और संवेदनशील सोच का परिणाम है। उन्होंने इस अंचल की भौगोलिक विशिष्टताओं, विकास की आवश्यकताओं और पृथक राज्य की वर्षों पुरानी जनआकांक्षा को समझा तथा प्रधानमंत्री के रूप में उसे साकार किया। छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में पहचान दिलाने वाला उनका यह ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल का छत्तीसगढ़ से रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरा आत्मीय



और भावनात्मक था। छत्तीसगढ़ और यहां के लोगों के प्रति उनके मन में विशेष स्नेह था। साय ने अटल के साथ अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि उन्हें स्वयं भी अटल का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ जुड़ी अनेक आत्मीय स्मृतियां मन में जीवंत हैं। अटल का स्नेह और उनका मार्गदर्शन उनके जीवन की अमूल्य स्मृतियों में है, जो उन्हें जनसेवा के पथ पर निरंतर प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल का व्यक्तित्व बहुआयामी था। संवेदनशील कवि, प्रखर पत्रकार, आज्ञास्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता के रूप में उन्होंने

सार्वजनिक जीवन की विशेषता थी। राष्ट्रहित उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहा और मां भारती की सेवा उनके जीवन का सर्वोच्च ध्येय थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल जी ने सुशासन और अंत्योदय को शासन का आधार बनाकर विकास की ऐसी विरासत स्थापित की, जो देश को दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को सड़कों से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल ने ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति दी। किसानों के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों

का दूरगामी प्रभाव पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता देते हुए अटल जी के कार्यकाल में पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया। यह निर्णय जनजातीय समुदायों के विकास, अधिकारों और आकांक्षाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का परिचायक था। उन्होंने विकास की मुख्यधारा को गांव, गरीब, किसान, जनजातीय समाज और वंचित वर्गों तक पहुंचाने के लिए अनेक दूरदर्शी पहल कीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल ने जिस छत्तीसगढ़ की आधारशिला रखी, उसे समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनाना हम सभी का दायित्व है। उनकी सरकार अटल के सुशासन, अंत्योदय और जनकल्याण के मूल्यों को आत्मसात करते हुए प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास और सुशासन के नए अध्याय लिख रहा है। सरकार का प्रत्येक प्रयास गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में केन्द्रित है।

जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का सीएम साय ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के योगदान, अमर सेनानियों के शौर्य एवं बलिदान, वंदे मातरम की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और राज्य में सुशासन एवं विकास की उपलब्धियों को समेटे यह प्रदर्शनी अतीत के गौरव से वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं तक छत्तीसगढ़ की यात्रा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदर्शनी के विभिन्न खंडों का अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित दुर्लभ छायाचित्रों, दस्तावेजों एवं सूचनात्मक सामग्री में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए छत्तीसगढ़ की धरती के अनेक वीर सपूतों ने संघर्ष और बलिदान किया।



उनके योगदान और राष्ट्रभक्ति की प्रेरक गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। ऐसी प्रदर्शनियां युवाओं को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के साथ उनमें राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यबोध और देश के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल इतिहास का स्मरण नहीं कराती, बल्कि विरासत से प्रेरणा लेकर विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित

भारत के निर्माण के संकल्प को भी सुदृढ़ करती है। एक ओर इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की अमर गाथाएं हैं, तो दूसरी ओर जनकल्याणकारी योजनाओं, सुशासन, आधुनिक अधोसंरचना और नई तकनीक के माध्यम से बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी दिखाई गई है। प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण राष्ट्रीत 'वंदे मातरम' की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर केंद्रित खंड है।

मुर्मु, राधाकृष्णन, मोदी और नवीन सहित विभिन्न नेताओं ने अर्पित की वाजपेयी को श्रद्धांजलि

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन सहित विभिन्न नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।



मुर्मु, राधाकृष्णन, मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, नवीन और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित तमाम नेता आज वाजपेयी के स्मृतिस्थल 'सदैव अटल' पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वाजपेयी के स्मृतिस्थल 'सदैव अटल' प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 में

राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया। सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अटल जी ने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध

हुआ था। मोदी ने वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें एक 'असाधारण राजनेता' बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अद्भुत दूरदर्शिता वाले एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया। सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अटल जी ने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध

इंडोनेशिया- 9,290 लोग राहत शिविरों में पहुंचे भूकंप से 51 लोगों की मौत, आपातकाल लागू

जकार्ता। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेण्गा आये 7.7 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद के झटकों में 51 लोगों की मौत हो गयी तथा 113 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीएनपीबी) के अनुसार, 9,290 लोग राहत एवं निकासी केंद्रों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं।

बीएनपीबी के डेटा, सूचना एवं आपदा संचार केंद्र के कार्यवाहक प्रमुख बर्टन एसपी पंजैतान ने रविवार को बताया कि सिका जिले में सबसे अधिक 3,356 लोग और मंगरई में 2,078 लोग राहत शिविरों में हैं। पूर्वी नुसा तेण्गा प्रांतीय सरकार ने भूकंप के बाद 15 से 28 अगस्त तक 14 दिन की आपातकालीन प्रतिक्रिया अवधि घोषित की है। राज्यपाल मेल्की लाका लेना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। बीएनपीबी के अनुसार, भूकंप के बाद 341 झटके भी



दर्ज किए गए। मंगरई में सबसे अधिक 23 लोगों की मौत हुई, जबकि पूर्वी मंगरई में 17, सिका में चार और पश्चिमी मंगरई, एंदे तथा नागेकेओ में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। भूकंप से 1,357 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें 914 मकानों को भारी, 126 को मध्यम और

317 को मामूली नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 93 शैक्षणिक संस्थानों, 36 स्वास्थ्य केंद्रों और 38 सरकारी कार्यालयों को भी नुकसान पहुंचा है। सिका जिले में 1,356 लोग समाझेर स्पोर्ट्स हॉल में शरण लिए हुए हैं, जबकि करीब 2,000 लोग 10 अलग-अलग स्थानों पर रह रहे हैं। नागेकेओ, पश्चिम नुसा तेण्गा के बिमा शहर और दक्षिण सुलावेसी के सेलथार द्वीप समूह में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बर्टन ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान राहत शिविरों में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना और आवश्यक सामग्री पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मंगरई जिले में प्रभावित लोगों के लिए आपातकालीन तंबू, 30 टन चावल, दवाइयां, एक हजार कंबल, एक हजार फ लिंग डेड, एक हजार चटइयां, स्वच्छ पानी, पानी की टैंकियां और जनरेटर की तत्काल आवश्यकता है।

ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए समुद्री मानचित्र पर समझौता

तेहरान। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए समुद्री मानचित्र पर समझौता हो गया है, हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी भी बातचीत चल रही है। प्रेस टीवी ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले सऊदी बॉर्डरकार्स अल-हदाथ ने खबर दी थी कि ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को परिवहन के लिए पूरी तरह खोलने पर समझौता हुआ है, जिसे ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलनी बाकी है। चैनल के अनुसार इस समझौते की आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। हाल के हफ्तों में अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया के मध्यस्थों की मदद से संघर्ष को खत्म करने के लिए एक नए समझौते की शर्तों पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत नौ अगस्त को कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ बहुत धीमी गति से बातचीत कर रहा है, जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति कथित तौर पर और खराब हो गई है।



राउत ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को 'मूर्खों का मंत्रिमंडल' करार दिया

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए राज्य मंत्रिमंडल को 'मूर्खों का मंत्रिमंडल' करार देते हुए सत्ताधारी दलों के बड़े नेताओं को टेलीग्राम्स के बिना राष्ट्रीत 'वंदे मातरम' सुनाने की चुनौती दी। राउत ने मंत्री जयकुमार गारे के बारे में टिप्पणी करने पर मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर 'मूर्ख' शब्द असंसदीय है, तो संसद बोर्ड को इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार चलाने के लिए सोच-समझकर 'मूर्खों' को इकट्ठा किया है। उन्होंने अधिकारियों को चुनौती दी कि वे इसे 'मूर्ख मंत्रिमंडल' कहने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। सोनिया गांधी के रुख को 'बौद्धिक नक्सलवाद' बताने वाले मुख्यमंत्री



देवेंद्र प्हणवीस के बयान का जवाब देते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता कहा कि 'वंदे मातरम' को कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था, भाजपा ने नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ डणवीस को टेलीग्राम्स की मदद के बिना कम से कम दो पद सुनाने की चुनौती दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण का भी मज़ाक उड़ाया और दावा किया कि लाल किले पर टेलीग्राम्स खराब होने के कारण प्रतिक्रिया देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार चलाने के लिए सोच-समझकर 'मूर्खों' को इकट्ठा किया है। उन्होंने अधिकारियों को चुनौती दी कि वे इसे 'मूर्ख मंत्रिमंडल' कहने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। सोनिया गांधी के रुख को 'बौद्धिक नक्सलवाद' बताने वाले मुख्यमंत्री

बड़ी कामयाबी: डीआरआई ने सुपारी आयात में पकड़ा 2500 करोड़ रुपये का घोटाला

कोलकाता। राजस्व खुफिया निदेशालय ने आयात की जाने वाली सुपारी को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बंगलादेशी मूल का बताकर लाने और दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र (साफ्ट) समझौते के तहत सीमा शुल्क छूट का अवैध लाभ उठाने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में अब तक 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के सीमा शुल्क चोरी का खुलासा हुआ है और इस सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। गौरतलब है कि सुपारी के आयात पर सामान्यतः 100 फीसदी सीमा शुल्क लगाता है, लेकिन



साफ्ट समझौते के तहत बंगलादेश से आयात की जाने वाली सुपारी पर पूरी तरह सीमा शुल्क में छूट मिलती है। खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई ने जांच शुरू की, जिसमें सामने आया कि यह गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से सुपारी मंगवाता था और उसका मूल देश बंगलादेश बताकर शुल्क छूट हासिल गिरफ्तार किया गया है। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। गौरतलब है कि सुपारी के आयात पर सामान्यतः 100 फीसदी सीमा शुल्क लगाता है, लेकिन

दक्षिण-पूर्वी एशियाई मूल के होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए। इसके साथ ही लगभग 75 लाख रुपये की नकदी और 160 टन सुपारी की खेप भी जब्त की गई है। जांच में पता चला कि यह गिरोह दक्षिण-पूर्वी एशिया से सुपारी को बंगलादेश के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में मंगाते थे, जहां केवल उनके कंटेनर और बोरियां बदलकर उन्हें बंगलादेशी उत्पाद के रूप में भारत भेजा जाता था। इसके लिए बंगलादेशी अधिकारियों से धोखाधड़ी से साफ्ट मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते थे। इस काम के बदले भारतीय आयातकों से भारी कमीशन लिया जाता था और लेन-देन के लिए हवाला चैनलों तथा फर्जी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था।

वेंकैया नायडू और रेखा गुप्ता ने विश्वविद्यालय मेट्रो के पास किया अटल कैंटीन का उद्घाटन, इसू अध्यक्ष ने किया दिल्ली सरकार का धन्यावाद

नयी दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को विश्वविद्यालय मेट्रो के द्वार संख्या तीन के पास अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (इसू) के अध्यक्ष आर्यन मान भी मौजूद थे। नायडू और गुप्ता के अलावा इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, तिमारपुर विधायक सूर्य



प्रकाश खत्री तथा कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मान ने डीयू के पास अटल कैंटीन खोलने को लेकर दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यह कैंटीन से विद्यार्थियों, वि श्व वि द्या ल य

कर्मचारियों तथा आसपास के जरूरतमंदों लोगों के लिए मात्र पांच रुपये में गुणवत्तापूर्ण तथा पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। यह अच्छी योजना है। इस मौके पर गुप्ता ने कहा, वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर हमने यह संकल्प लिया था कि हम उनके नाम पर दिल्ली भर में 100 अटल कैंटीन खोलेंगे। इन 100 कैंटीनों के जरिए रोजाना 1,000 लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाना खिलाया जाएगा और लोग हर दिन पांच रुपये में भोजन कर सकेंगे।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 का विरोध करते हुए कहा कि इससे खनिज संपदा पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार सीमित होंगे और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज उत्पादक राज्यों के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। बैज ने ये आरोप लगाया कि संसद में पारित संशोधन राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों पर कर



संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 में प्रमुख और गौण खनिजों को लेकर केंद्र एवं राज्यों की भूमिका निर्धारित

रही है। नए संशोधन के बाद राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित सीमाओं से इतर खनिज अधिकारों अथवा खनिजयुक्त भूमि पर अतिरिक्त कर या लेवी नहीं लगा सकेगे। उन्होंने दावा किया कि इससे छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में भी ग्रामसभाओं की आपत्तियों की अनदेखी कर निजी खनन कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है।



संपादकीय

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर अंतरिम समझौता होने के बावजूद शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बार संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद भी दोनों देशों की ओर से वार-पलटवार का सिलसिला जारी है।पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अरब केवल लेन, गैस और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इससे समुद्र की पारिस्थितिकी पर भी खतरा मंडराते लगा है।

होर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से दुनिया पर आर्थिक असर को लेकर तो आकलन लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक जहाजों की आवाजाही बंद रहने से पैदा होने वाले संभावित पारिस्थितिकी नुकसान पर अब तक कम ही ध्यान दिया गया है।हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, बीती फरवरी से फारस की खाड़ी में खड़े डेढ़ हजार से अधिक वाणिज्यिक जहाज गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकते हैं। इन

जहाजों के स्थिर रहने से इनके बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परत जमा हो सकती है। जब ये जहाज अलग-अलग बंदरगाहों की ओर खाना होंगे, तो इनके साथ समुद्री जीव नष्ट क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, जिससे जैव-सुरक्षा के लिहाज से नया खतरा पैदा होने की आशंका है। यह अफसोसनाक है कि इस दोहरे खतरे से बेफिक्र होकर अमेरिका और ईरान अपनी-अपनी जिद पर अड़े हैं।गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच

युद्ध समाप्त करने को लेकर अंतरिम समझौता होने के बावजूद शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बार संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद भी दोनों देशों की ओर से वार-पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी का नतीजा है कि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है और इसके जवाब में अमेरिका ने दोबारा पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी है।ईरान ने बीते सोमवार को दो ट्रक कहा कि जब तक अमेरिका उनकी शर्तों को

स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह होर्मुज जलमार्ग को फिर से नहीं खोलेगा। दरअसल, ईरान चाहता है कि अमेरिका नाकेबंदी हटाए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे और उसकी जन्त संपत्तियों को मुक्त करे। ईरान की इन शर्तों को लेकर अमेरिका कितना गंभीर है, इसका अंदाजा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान के वातकारों ने अब तक ऐसी कोई

मांग नहीं उठाई है।इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष का सबसे ज्यादा असर भारत समेत उन देशों को झेलना पड़ रहा है, जिनका सीधे तौर पर इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि पश्चिम एशिया में फिर से शांति कायम करने की जिम्मेदारी दोनों देशों है, लेकिन युद्ध की शुरुआत चूँकि अमेरिका और इजर्राइल ने मिलकर की थी, इसलिए समाधान के रास्ते तलाशने का दायित्व भी उन पर ज्यादा है।

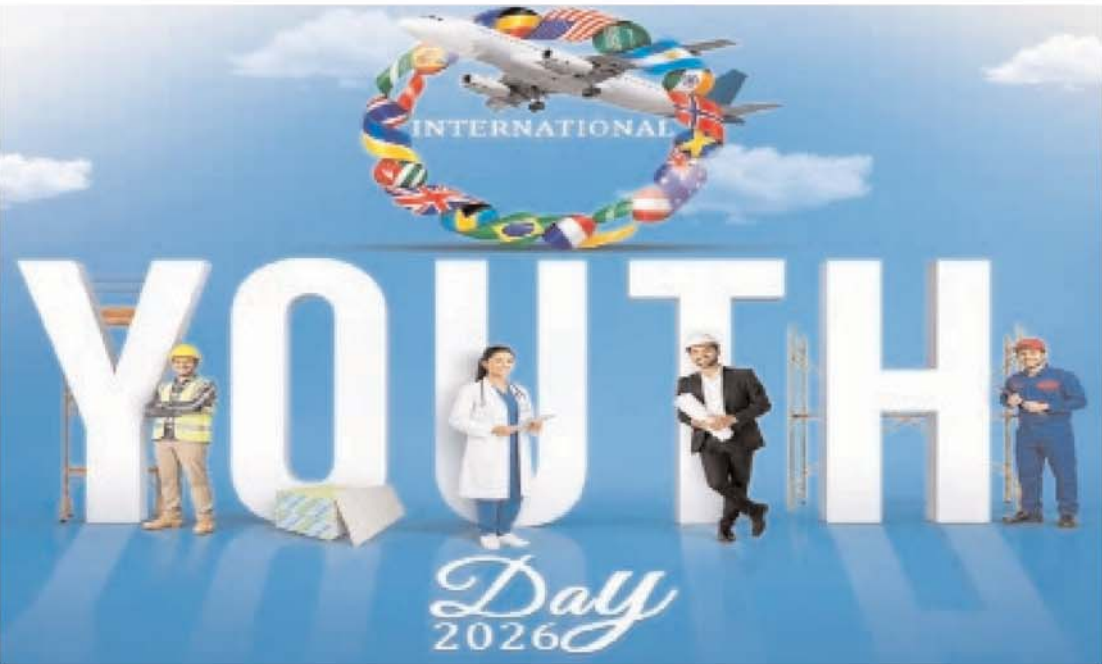
अंतरराष्ट्रीय यूथ डे 2026

युवा शक्ति को मिले दिशा, सपनों को मिले उड़ान

(ललित गर्ग)
दुनिया की सरकारों को यह समझना होगा कि युवा केवल चुनाव के समय याद आने वाला मतदाता नहीं है। वह राष्ट्र की नीति-निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार है। जिस युवा के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लिये जाते हैं, उसकी आवाज उन निर्णयों में कितनी शामिल है, यह लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी महत्वपूर्ण पैमाना है।

युवा केवल उम्र की एक अवस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा, साहस, कल्पना, परिवर्तन और नवसृजन की चेतना का नाम है। जिस समाज की युवा शक्ति जाग्रत, संवेदनशील और रचनात्मक होती है, वह समाज परिवर्तन की नई इबारत लिखता है। इसके विपरीत जब युवा ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है तो वही शक्ति हिंसा, नशे, उग्रवाद, अपराध, निराशा और विध्वंस का कारण बन सकती है। इसलिए आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि युवा क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि उनकी विराट ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जा रहा है। इसी चिंतन को वैश्विक स्तर पर महत्व देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। वर्ष 2000 से इस दिवस का आयोजन शुरू हुआ। इस वर्ष का विषय है-‘विभिन्न परिस्थितियाँ, साझा आकांक्षाएँ।’ यह विषय आज की युवा पीढ़ी की वास्तविकता को बहुत गहराई से अभिव्यक्त करता है। दुनिया के युवाओं की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। कहीं गरिबी और बेरोजगारी है, कहीं युद्ध और असुरक्षा, कहीं शिक्षा के अवसरों की कमी है, कहीं तकनीकी असमानता और पर्यावरण संकट है, लेकिन इन सबके बीच उनकी आकांक्षाएँ आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। वे सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्थक रोजगार, सुरक्षा, मानसिक सुख-शांति, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर भविष्य चाहते हैं।

दुनिया की सरकारों को यह समझना होगा कि युवा केवल चुनाव के समय याद आने वाला मतदाता नहीं है। वह राष्ट्र की नीति-निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार है। जिस युवा के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लिये जाते हैं, उसकी आवाज उन निर्णयों में कितनी शामिल है, यह लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी महत्वपूर्ण पैमाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2250 युवाओं को शांति निर्माण और हिंसा की रोकथाम में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि युवा समस्या नहीं, बल्कि समाधान की शक्ति हैं। आज आवश्यकता है कि हर देश में ऐसी प्रभावी व्यवस्था बने, जिसमें विद्यार्थी, उद्यमी, किसान, वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता युवा सीधे नीति-निर्माताओं से संवाद कर सकें। केवल युवाओं पर योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के साथ योजनाएँ बनाना आवश्यक है। भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में उसकी युवा आबादी भी है। भारत के युवाओं ने अनेक बार सिद्ध किया है कि उनमें केवल नौकरी पाने की आकांक्षा नहीं, बल्कि कुछ नया करने की बेचैनी भी है। विज्ञान, खेल, तकनीक, उद्यमिता, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा से लेकर अनेक क्षेत्रों में भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द ने भारत के पुनर्निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। उनका विश्वास था कि जाग्रत, चरित्रवान और संकल्पवान युवा राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी युवाओं के सपनों को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनके चिंतन का मूल संदेश था कि बड़े सपने देखो, ज्ञान अर्जित करो और उन सपनों को कर्म में बदलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत के विकास विमर्श में युवा शक्ति, नवाचार, कौशल, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। लेकिन अब अमला चरण इससे आगे जाने का है। युवा को योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास का सह-निर्माता बनाना होगा।



युवा दिवस की सार्थकता तब होगी जब 12 अगस्त के बाद भी युवा के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। क्यों न इस वर्ष प्रत्येक शहर में युवा स्वप्न संवाद आयोजित हों, जिसमें युवा लिखें कि वे अपने देश को अगले दस वर्षों में कैसा देखना चाहते हैं। उन सपनों को केवल कागज पर न रखा जाए, बल्कि सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान और सामाजिक संस्थाएँ मिलकर उनमें से व्यवहारिक योजनाओं को धरातल पर उतारें। प्रत्येक युवा कोई एक उपयोगी कौशल सीखे और समाज के लिए कोई एक जिम्मेदारी स्वीकार करे। प्रत्येक जिले में ऐसे युवा नवाचार केंद्र स्थापित हों, जहाँ स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए युवा अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का उपयोग कर सकें। आज युवा शक्ति के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में नशा, डिजिटल लत, हिंसक प्रवृत्तियाँ, मानसिक तनाव, बेरोजगारी और उद्देश्यहीनता हैं। नशे का फैलता जाल केवल व्यक्ति को नहीं, परिवार और राष्ट्र की उत्पादक शक्ति को भी कमजोर करता है। युवाओं को केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि नशा मत करो, बल्कि उन्हें जीवन का ऐसा उद्देश्य देना होगा कि नशे की आवश्यकता ही महसूस न हो। खेल, योग, ध्यान, कला, साहित्य, सेवा, उद्यमिता और सामाजिक गतिविधियों से युवाओं को जोड़ना होगा। खाली समय को रचनात्मक समय में बदलना नशामुक्ति की सबसे प्रभावी सामाजिक रणनीति हो सकती है।

आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद की कमी भी एक चुनौती है। बुजुर्ग अनुभव के प्रतीक हैं और युवा ऊर्जा हैं। अनुभव यदि ऊर्जा से नहीं जुड़ेगा तो वह जड़ हो सकता है और ऊर्जा यदि अनुभव से नहीं जुड़ेगी तो दिशाहीन हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है अंतरपीढ़ी संवाद की। परिवारों, संस्थाओं और सरकारों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें युवा नई सोच प्रस्तुत करें और वरिष्ठ पीढ़ी अपने अनुभव से उनका मार्गदर्शन करें। अनुभव और ऊर्जा का यह समन्वय राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन सकता है। आज दुनिया के अनेक हिस्सों में युवा आंदोलन हो रहे हैं। युवाओं की आवाज सता और व्यवस्था तक पहुँच रही है। भारत में भी समय-समय पर युवाओं ने अपनी आकांक्षाओं और असंतोष को आंदोलन का रूप दिया है। लेकिन युवा आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब वह केवल विरोध की आवाज न रहकर विकल्प की आवाज बने। युवा कहे कि हमें केवल शिकायत नहीं करनी, समाधान भी देना है। हमें केवल

विचार–पक्ष

होर्मुज संकट का दूसरा खतरा- समुद्र की पारिस्थितिकी पर मंडराया बड़ा संकट

नेपाल ने खो दिये सुगौली के ओरिजनल डाक्युमेंट ! अब भारत के साथ कैसे सुलझायेगा सीमा विवाद ?

(नीरज कुमार दुबे)

यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर विवाद फिर सुर्खियों में है। दरअसल, भारत और चीन के बीच लिपुलेख व्यापार मार्ग को फिर खोलने पर सहमति के बाद नेपाल ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा दोहराया है। लो कर लो बात ! सीमा विवाद को लेकर भारत पर लगातार सवाल उठाने वाला नेपाल खुद उस ऐतिहासिक दस्तावेज की मूल प्रति नहीं ढूँढ़ पा रहा है, जिसके आधार पर उसकी चर्चाओं के दौरान 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि की मूल प्रति खोजने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी नहीं मिली। बाद में संसदीय जांच के सुगौली संधि और 1950 की संधि, दोनों की मूल प्रतियां नेपाल में नहीं मिलने की बात सामने आई। 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी कहा था कि मंत्रालय के पास दोनों संधियों की प्रतियां हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक जांच जरूरी है कि वे मूल दस्तावेज हैं या नहीं। नेपाल ने भारत और ब्रिटेन में उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों और नक्शों को भी तलाशने की बात कही थी। यानी सवाल केवल यह नहीं कि दस्तावेज कहाँ हैं, बल्कि यह भी है कि नेपाल के पास मौजूद प्रतियां कितनी प्रामाणिक हैं।

सीमा दावे की कमजोर कड़ी –

वैसे इससे यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि नेपाल का हर सीमा दावा खतः गलत हो जाता है। सीमा विवादों का निर्धारण केवल किसी एक मूल दस्तावेज से नहीं होता; ऐतिहासिक नक्शे, नदी की वास्तविक धारा, प्रशासनिक नियंत्रण, पुराने सरकारी रिकॉर्ड और अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज बीच हुईं वह ऐतिहासिक संधि थी, जिसने 1814-16 के एंग्लो-नेपाल युद्ध का अंत किया और नेपाल की क्षेत्रीय सीमाओं तथा ब्रिटिश भारत के साथ उसके संबंधों को बड़े पैमाने पर निर्धारित किया। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई और 4 मार्च 1816 को इसकी औपचारिक पुष्टि हुई। युद्ध में पराजय के बाद नेपाल को बड़े भूभाग से अपने दावे छोड़ने पड़े और उसकी पश्चिमी सीमा के निर्धारण में महाकाली नदी की महत्वपूर्ण भूमिका बनी। इसी संधि को आगे चलकर नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा-व्यवस्था की आधारभूत कड़ी माना गया। यही कारण है कि सुगौली संधि की मूल प्रति का गायब होना महज किसी पुराने कागज का गुम होना नहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है,

असामाजिक हो रहे सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

(उमेश चतुर्वेदी)

सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उ्बाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिस्सिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

दिल्ली में बीस जुलाई को कालरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के जेन जी के संबोधन की वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटायी जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत चर्चा में हैं। चर्चा से ज्यादा उनका भूमिका कहीं ज्यादा विमर्श के केंद्र में है। इसमें दो राय नहीं कि दुनियाभर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रचलन में हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं। जाहिर है कि वे उन जगहों के कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं से ज्यादा संचालित हैं, जहां उनके मुख्यालय हैं। इसलिए अपने व्यापक हितों के लिए वे अपने प्रचलन वाले देशों की परंपराओं और संस्कृतियों को सवालों के घेरे में लाने, उसका उपहास उड़ाने और उन्हें तार-तार करने वाला अलगोरिदम उन्होंने विकसित कर रखा है। जिसका खामियाजा तीसरी दुनिया के देश और वहां की सांस्कृतिक परंपराएं उठा रही हैं।

सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उ्बाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिस्सिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। किसी ने इस घटना को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया के तत्कालीन अलगोरिदम ने इस घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया कि समूचे अरब जगत में उ्बाल आ गया। नागरिक अधिकारों की स्थापना और

सोशल मीडिया मंचों ने अपना अलगोरिदम भी ऐसा विकसित किया है, जो अच्छी बातों, सामाजिक चिंतन और बेहतर कल की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देखा। एक तरह से कहें तो वह इसकी अनदेखी ही करता है। लेकिन जैसे ही किसी को कोई गाली देता है, किसी का घटिया कार्टून बनाता है, सोशल मीडिया का अलगोरिदम उसे फैलाने में द्रुत गति से जुट जाता है। सोशल मीडिया ने अब तक पर्दे के पीछे रही नंगई को भी उजागर कर दिया है। आज रील्स के चक्कर में अद्यनंगे और कई बार करीब-करीब नग्न फोटोग्राफ और वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं।

लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर अरब देशों की जनता सड़कों पर उतर आई। इसका ही नतीजा मिश्र की राजधानी काहिरा के तहरीर का दिखता रहा। जहां महीनों तक लोग जमे रहे और वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आग सीरिया, यमन और लीबिया तक जा पहुंची। वहां के पारंपरिक शासकों के खिलाफ लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकला और कई जगह सत्ताएं बदल गईं। भारत में भी इसके ही कुछ महीनों बाद अन्ना हजारे को आगे रखकर एक आंदोलन छेड़ा गया। जिसकी परिणति आम आदमी पार्टी के रूप में हुई और वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। फिर पंजाब में भी उसने पैठ बना ली। दक्षिण-एशियाई और प्रवासी

इन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है कि ऐसी सबके पीछे सोशल मीडिया के जरिए त्वरित गति से फैलाई गई सूचनाओं का हाथ सबसे ज्यादा रहा। तब सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया गया। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र में सबकी आवाज पहुंचाने और उन्हें मौका देने का यह बड़ा माध्यम है। इसे लोकतंत्र के वाजिब और जरूरी औजार के रूप में भी मान्यता मिली। लेकिन बीतते वक्त के साथ पता चल रहा है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अनसोशल यानी असामाजिक भी है। यह

ठीक है कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवस्था की अंधी सुरंग में खो रही आवाजों को मौका मिलता है। लेकिन यह उतना ही सच है कि इस माध्यम ने लोगों की नजर का पानी उतार दिया है। लोग अब लिहाज करना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी की बात पसंद नहीं आती तो उसे खुलेआम गालियां दी जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही किसी को कोई गाली देता है, किसी के चरित्र का बेवजह ही हनन करता है, किसी का घटिया कार्टून बनाता है, सोशल मीडिया का अलगोरिदम उसे फैलाने में द्रुत गति से जुट जाता है। सोशल मीडिया ने अब तक पर्दे के पीछे रही नंगई को भी उजागर कर दिया है। आज रील्स के चक्कर में अद्यनंगे और कई बार करीब-करीब नग्न फोटोग्राफ और वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं। भले ही अपने परिवारों में महिलाएँ और युवतियाँ सलीके से रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर

प्रसिद्धि पाने और उसके जरिए कुछ कमाने के चक्कर में अपने शील और अपनी लज्जा को भी बेपर्दा कर रही हैं। सोशल मीडिया का जतना असामाजिक हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका अलगोरिदम अश्लीलता को बढ़ावा देता है, लेकिन शील और लज्जा की बात को अपने मंच के किसी कोने में डाल देता है। कह सकते हैं कि वचुंअल स्पेस के किसी अंधेरे कोने में उसे गुम कर देता है।

तीन साल पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने 19 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सोशल मीडिया को लेकर एक शोध किया था। उसके मुताबिक, आम नागरिकों की नजर में सोशल मीडिया राजनीतिक जीवन के लिए रचनात्मक और विनाशकारी दोनों है। इस अध्ययन में शामिल देशों में, औसतन 57 प्रतिशत लोगों ने माना कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए अच्छ है, लेकिन इसे विनाशकारी मानने वालों की संख्या भी कम नहीं रही। करीब 35 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का का कहना था कि सोशल मीडिया विनाशकारी साबित हो रहा है। सिर्फ 3.4 प्रतिशत अमेरिकियों ने ही सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए लाभकारी माना, जबकि 6.4 फीसद का कहना था कि इसने नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डाला है। हाल ही में जेन जी से चर्चा के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोशल मीडिया को लेकर अपने विचार व्यक्त

किए। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर

उनके कारण दस लाख लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक, उपयोगी और समाजहित की सामग्री साझा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर केवल प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। जेन-जी में भी यह विवेक विकसित होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। वरिष्ठ पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वह नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करे तथा उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझाए। सोशल मीडिया का अनसोशल चेहरा और मंच आर्थिक कमाई का जरिया भी है। नंगई, हिंसा और व्यक्तिचार-अतिचार की कहानियां, दूषय, वीडियो और फोटो को वायरल करने में उसका कोई सानी नहीं है। इस बहाने इसे प्रसारित करने वाले को सोशल मीडिया मंच आर्थिक कमाई भी कराते हैं। और तो और, वे खुद भी ऐसी घटनाओं, दूषयों को प्रसारित-प्रचारित और वायरल करने के लिए बड़ी रकम लेते हैं। संसदीय समिति के सामने फेसबुक और इंस्टाग्राम की अनसोशल कंपनी मेटा के अधिकारियों ने माना है कि काकोरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान गाली, हिंसा आदि को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी लिए थे। इन कोशिशों का मकसद भारत में व्यापक पैमाने पर लोगों को उत्तेजित करके अराजकता फैलाना था। इस लिहाज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में लोकतंत्र की रक्षा के सुखीटे के पीछे से दखल भी दे रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती भी दे रहे हैं। वक्त आ गया है कि इनके नियमन के लिए कठोर कानून बनाए जाएँ। जिसके तहत उन्हें अभिव्यक्ति के अधिकार को बढ़ावा देने की व्यवस्था तो हो, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता फैलाने की हूट नहीं। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ज्ञापन सौंपने के दौरान मोर्चा के पदाधिकारी कैलाश रामटेके, अलीम रिजवी, विजय चापड़ी, मोहशीन खान, ओनेश्वर झाड़ी, बुधरूराम कोरसा और लच्छिन्दर हेमला मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के करकमलों से उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित हुए पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारी-कर्मचारी



रायपुर/ संवाददाता

स्वतंत्रता दिवस के 80वें पावन अवसर पर आज राजधानी रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गरिमामय राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के करकमलों से छत्तीसगढ़ पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारियों तथा जवानों को उनकी कर्तव्यनिष्ठ, असाधारण कार्यकुशलता और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित पदकों तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। समारोह में रक्षित केन्द्र धमतरी के सहायक उप निरीक्षक श्री रामावतार सिंह राजपूत को उनकी 36 वर्षों से अधिक की निष्ठावान सेवा और आधारभूत प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान हेतु देश के सर्वोच्च 'राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक-2026' से सम्मानित किया गया। सराहनीय सेवाओं, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था एवं आधुनिक नवाचारों के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित कुल 10 पुलिसकर्मियों को 'सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक-2026' प्रदान किया गया। इस पदक से अलंकृत होने वालों में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज श्री रामगोपाल (भा.पु.से.), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री शशिमोहन सिंह (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक एटीएस नवा रायपुर श्रीमती राजश्री मिश्रा (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा (भा.पु.से.), सेनानी 7वीं वाहिनी छ.स.बल भिलाई श्रीमती निवेदिता पॉल, सेनानी 20वीं वाहिनी छ.स.बल महासमुंद श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे, पुलिस उपायुक्त रायपुर श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष आसूचना शाखा नवा रायपुर सुश्री उन्नैजा खातून अंसारी, सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी छ.स.बल भिलाई श्री जयलाल मरकाम तथा प्लाटून कमाण्डर 20वीं वाहिनी छ.स.बल महासमुंद श्री हजारी लाल साहू शामिल हैं। आपदा प्रबंधन, राहत कार्यों और जनसेवा में अद्वितीय भूमिका निभाने के लिए नगर सेना राजनांदगांव के नायक श्री उत्तम

समाज प्रमुखों से पुलिस की अपील, अनजान फेरीवालों और सदिग्ध व्यक्ति यों से रहें सतर्क

रायपुर। पुलिस ने जिले के सभी समाज प्रमुखों, अध्यक्षों, पदाधिकारियों और वरिष्ठजनों से अपील की है कि वे अपने समाज के वार्षिक अधिवेशन, बैठकों और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान सदस्यों को सुरक्षा एवं सतर्कता के प्रति जागरूक करें। पुलिस ने आम नागरिकों से अपने आसपास अपने वाले अजनबी और सदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है। पुलिस ने विशेष रूप से अज्ञात फेरीवालों से सतर्क रहने की सलाह दी है। गांव या मोहल्ले में जाने वाले नए अथवा अनजान फेरीवालों के बारे में जानकारी रखने और उनका वैध पहचान पत्र अवश्य देखने कहा गया है। इसी तरह बिना सत्यापन के जड़ी-बूटी या अन्य सामान बेचने वाले अजनबियों को घर में प्रवेश नहीं देने की अपील की गई है। पुलिस के मुताबिक यदि आसपास कोई अज्ञात व्यक्ति सदिग्ध गतिविधियों में लिस दिखाई देता है या किसी स्थान पर सदिग्ध रूप से रुकता अथवा घूमता नजर आता है, तो नागरिकों को तत्काल सतर्क होकर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों और अवैध प्रवास से जुड़ी किसी भी जानकारी को तत्काल पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई है। बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिलने पर बिना देरी पुलिस को सूचित करें। इसके लिए पुलिस ने टोल-फ्री नंबर 1800 233 1905 जारी किया है।

सिहावा पुलिस की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई

रायपुर। जिले में जुआ-सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ धमतरी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिहावा पुलिस ने 12 अगस्त को सार्वजनिक स्थानों पर रुपये-पैसों की हार-जीत का दाव लगाकर काटपट्टी जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को अलग-अलग दो प्रकरणों में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 6,730 रुपये नगद और 52 पत्ती ताश जब्द की है। पुलिस के अनुसार, पहला मामला ग्राम सेमरा गौठान का है। यहां स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर छद्म लाल साहू (39) और वेद कुमार नेनाम (26) को रीे हाथ पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 530 रुपये नगद और 52 पत्ती ताश बरामद हुई।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी करपावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग.)
// उद्घोषणा //
रा.प्र.क्र. 2588/ब-121/2025-2026
इस उद्घोषणा के जरिये आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुकमती पति स्व. गोवर्धन जाति भट्टरा ग्राम पोलेबेड़ा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर द्वारा आवेदक स्वयं अथवा अपने रिश्तेदार स्व दामोदर पिता लक्ष्मीनाथ निवासी स्व. तहसील करपावण्ड जिला बस्तर छ.ग. का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया गया है।
अतः आवेदक के रिश्तेदार स्व. दामोदर पिता स्व. लक्ष्मीनाथ निवासी ग्राम पोलेबेड़ा का दिनांक 08/01/2009 को मृत्यु हुई है। आवेदक सुकमती पिता स्व. गोवर्धन जाति भट्टरा ग्राम पोलेबेड़ा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर आवेदक स्वयं अथवा आवेदक के रिश्तेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा पेश करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिकता के माफ्त प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 18/08/2026 तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत पेशी तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।
आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की से जारी किया गया।
 कार्यपालिक तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी करपावण्ड, जिला बस्तर
 सुहर

न्यायालय तहसीलदार बेमैतरा, तहसील व जिला – बेमैतरा (छ.ग.)
// ईश्रतहार //
क्र. / प्र.1/ तह. / 2026 बेमैतरा, दिनांक..
रा. प्र. क्र., ब- 121 वर्ष 2025-26
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र कुमार पिता स्व. हिरउ निवासी ग्राम तिलरईकुड़ा तहसील व जिला बेमेतरा के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपने माता भागमती पति हिरउ के मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया गया है। जिनकी मृत्यु दिनाँक 19.03.2017 को ग्राम तिलरईकुड़ा तहसील व जिला बेमेतरा में होना और भूलवश मृत्यु का पंजीयन नहीं करा पाना बताया गया है।
उक्त आवेदन पत्र के संबंध में जिस किसी को दावा / आपत्ति हो तो वे नियत पेशी तारीख 22/08/26 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी दावा / आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनाँक 11/08/26. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर सहित ईश्रतहार जारी।
 तहसीलदार बेमेतरा
 सुहर

नाम परिवर्तन
मै मुकेश साहू पिता दिलीप कुमार साहू उम्र 35 वर्ष निवासी जोग तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) 491335 जो कि निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन प्रस्तुत करता हूँ कि
है। यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार
यह कि मुझे मेरे का आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें मेरा नाम राजु साहू (RAJU SAHU) पिता दिलीप कुमार साहू (DILIP KUMAR SAHU) दर्ज है। जिसका आधार कार्ड नं.- 827654139035 है। जो बालिक है। यह कि मेरे पेन कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में मुकेश साहू (MUKESH SAHU) पिता दिलीप कुमार साहू (DILIP KUMAR SAHU) के नाम हो गया है जो की सही है तथा भविष्य पिता दिलीप कुमार साहू (DILIP KUMAR SAHU) के नाम जाना जाये जिसके लिए राजपत्र में प्रकाशन परिवर्तन कर पिता दिलीप कुमार साहू (DILIP KUMAR SAHU) के नाम से दर्ज करना है जो की सही है दर्ज किये जाने शपथ पत्र प्रस्तत करने की आश्यकता हुई है। अतः यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
मुकेश साहू
पिता दिलीप कुमार साहू
ग्राम जोग तहसील व जिला बेमेतरा

नाम परिवर्तन
मैं नंदनी साहू पिता सीताराम उम्र 29 वर्ष निवासी खिलोरा तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) 491335 जो कि निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन प्रस्तुत करता हूँ कि
है। यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार
यह कि मुझे मेरे स्वयं का आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें मेरा नाम नंदनी साहू (NAN-DANI SAHU) पिता सीताराम (SITARAM) दर्ज है। जिसका आधार कार्ड नं.- 273898002300 है। जो बालिक है। यह कि मेरे राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिश्च ननकुनिया (NANKUNIYA) पिता सीताराम (SITARAM) के नाम हो गया है जो की सही है तथा भविष्य में नंदनी साहू (NAN-DANI SAHU) पिता सीताराम (SITARAM) के नाम जाना जाये जिसके लिए राजपत्र में प्रकाशन परिवर्तन कर नंदनी साहू (NANDANI SAHU) पिता सीताराम (SITARAM) के नाम से दर्ज करना है जो की सही है तथा भविष्य में नंदनी साहू (NANDANI SAHU) पिता सीताराम (SITARAM) दर्ज किये जाने शपथ पत्र प्रस्तत करने की आश्यकता हुई है। अतः यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
नंदनी साहू
पिता सीताराम
ग्राम खिलोरा तहसील व जिला बेमेतरा

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी करपावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग.)
// उद्घोषणा //
रा.प्र.क्र. 2587/ब-121/2025-26
इस उद्घोषणा के जरिये आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मानसिंग पिता स्व.धिनु जाति भट्टरा ग्राम पोलेबेड़ा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर द्वारा आवेदक स्वयं अथवा अपने पिता स्व. धिनु पिता पाकलु निवासी ग्राम पोलेबेड़ा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर छ.ग. का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया गया है।
अतः आवेदक के पिता स्व. धिनु पिता पाकलू ग्राम पोलेबेड़ा का दिनांक 05/01/2010 को मृत्यु हुई है। आवेदक मानसिंग पिता स्व. धिनु जाति भट्टरा ग्राम बोलेबेड़ा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर आवेदक स्वयं अथवा आवेदक के दादा पिता सोमारहिता/पति स्व० पदम बोल जाति भट्टरा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर द्वारा आवेदक अथवा आवेदक के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा पेश करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माफ्त प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 18/08/2026 तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत पेशी तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।
आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की से जारी किया गया।
 कार्यपालिक तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी करपावण्ड, जिला बस्तर
 सुहर

नाम परिवर्तन
मैं लक्ष्मन खिलोसिया पिता कल्पेश जैन उम्र 20 वर्ष निवासी बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) 491335 जो कि निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन प्रस्तुत करता हूँ कि
है। यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार
यह कि मुझे मेरे स्वयं का आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें मेरा नाम लक्ष्मन खिलोसिया (LAXMAN KHILOSIYA) पिता कल्पेश जैन (KALPESH JAIN) दर्ज है। जिसका आधार कार्ड नं.- 245397837465 है। जो बालिक है। यह कि मेरे अंकसूची व जन्म प्रमाण पत्र में कुशल जैन (KUSHAL JAIN) पिता कल्पेश जैन (KALPESH JAIN) के नाम हो गया है जो की सही है तथा भविष्य लक्ष्मन खिलोसिया (LAXMAN KHILOSIYA) पिता कल्पेश जैन (KALPESH JAIN) के नाम जाना जाये जिसके लिए राजपत्र में प्रकाशन परिवर्तन कर लक्ष्मन खिलोसिया (LAXMAN KHILOSIYA) पिता कल्पेश जैन (KALPESH JAIN) के नाम से दर्ज करना है जो की सही है तथा भविष्य में लक्ष्मन खिलोसिया (LAXMAN KHILOSIYA) पिता कल्पेश जैन (KALPESH JAIN) दर्ज किये जाने शपथ पत्र प्रस्तत करने की आश्यकता हुई है। अतः यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
लक्ष्मन खिलोसिया
पिता कल्पेश जैन
ग्राम बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा

नाम परिवर्तन
मैं हुमैरा फातिमा पति ईसराइल अली उम्र 28 वर्ष निवासी बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) 491335 जो कि निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन प्रस्तुत करता हूँ कि
है। यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार
यह कि मुझे मेरे का आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें मेरा नाम गायत्री चौहान (GAYTRI CHAUHAN) पति ईसराइल अली (ISRAIL ALI) दर्ज है। जिसका आधार कार्ड नं.- 292656672962 है। जो बालिक है। यह कि मेरे विवाह प्रमाण पत्र व मतदाता परिचय पत्र में हुमैरा फातिमा (HUMAIRA FATIMA) पति ईसराइल अली (ISRAIL ALI) के नाम हो गया है जो की सही है तथा भविष्य हुमैरा फातिमा (HUMAIRA FATIMA) पति ईसराइल अली (ISRAIL ALI) के नाम जाना जाये जिसके लिए राजपत्र में प्रकाशन परिवर्तन कर हुमैरा फातिमा (HUMAIRA FATIMA) पति ईसराइल अली (ISRAIL ALI) के नाम से दर्ज करना है जो की सही है दर्ज किये जाने शपथ पत्र प्रस्तत करने की आश्यकता हुई है। अतः यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
हुमैरा फातिमा
पति ईसराइल अली
ग्राम बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा

न्यायालय तहसीलदार धरसीवा जिला रायपुर (छ्तीसगढ़)
// ईश्रतहार //
कमांक/ अ-16/2055 2026 रायपुर, दिनांक 22/07/2026
ग्राम उरला प.ह.नं. 37 तहसील धरसीवा, जिला रायपुर (छ.ग.)
आवेदक जितेंद्र सिंह पिता स्व. बलदाऊ सिंह निवासी गीतांजली नगर (शंकर नगर) तहसील व जिला रायपुर छ.ग. द्वारा द्वितीयप्रति ऋणपुस्तिका बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम उरला प.ह.न - 29 रा.नि.मं.- 21 राबांभाटा तहसील व जिला रायपुर छ.ग. में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1/2, 2/2, 3, 6 रकबा क्रमशः 0.353, 0.069, 0.248, 0.154 कुल खसरा नंबर 04 भूमि राजस्व अभिलेख में जितेंद्र सिंह पिता स्व. बलदाऊ सिंह निवासी गीतांजली नगर (शंकर नगर) तहसील व जिला रायपुर छ.ग. के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा धारित भूमि का मूल ऋणपुस्तिका गुम हो गया है। जिसका ऋा पुस्तिका क्रमांक 1569108 है। द्वितीयप्रति ऋा पुस्तिका जारी किये जाने का निवेदन किया है। अतः आवेदक द्वितीयप्रति ऋा पुस्तिका जारी करने बाबत् आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो वे नियत तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा में होना बताया गया है, अज्ञानता वश उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है, अब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है, ग्राम पंचायत गनिया को मृत्यु पंजीयन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जावे।
आज दिनां 07/8/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया
 तहसीलदार, धरसीवी जिला रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन
मैं उत्तरा बंजारे पति अशोक बंजारे उम्र 52 वर्ष निवासी पिकरी तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) 491335 जो कि निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन प्रस्तुत करता हूँ कि
है। यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार
यह कि मुझे मेरे का आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें मेरा नाम उत्तरा बाई (UTTARA BAI) पति अशोक बंजारे (ASHOK BANJARE) दर्ज है। जिसका आधार कार्ड नं.- 533940807231 है। जो बालिक है। यह कि मेरे पेन कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में उत्तरा बंजारे (UTTARA BANJARE) पति अशोक बंजारे (ASHOK BANJARE) के नाम हो गया है जो की सही है तथा भविष्य उत्तरा बंजारे (UTTARA BANJARE) पति अशोक बंजारे (ASHOK BANJARE) के नाम जाना जाये जिसके लिए राजपत्र में प्रकाशन परिवर्तन कर उत्तरा बंजारे (UTTARA BANJARE) पति अशोक बंजारे (ASHOK BANJARE) शपथ पत्र प्रस्तत करने की आश्यकता हुई है। अतः यह.. के नाम से दर्ज करना है जो की सही है दर्ज किये जाने शपथ पत्र प्रस्तुत है।
उत्तरा बंजारे
पति अशोक बंजारे
ग्राम पिकरी तहसील व जिला बेमेतरा

न्यायालय तहसीलदार बेमेतरा, तहसील व जिला –बेमेतरा (छ.ग.)
// ईश्रतहार //
एतद् द्वारा सर्वसाधारण व आम जनता निवासी ग्राम तेलरईकुड़ा प.ह.नं. 37 तहसील व जिला बेमेतरा को सूचना प्रकाशित किया जाता है, कि आवेदिकागण कमशः सीमा वर्मा पति स्व. बेनीराम व अन्य 17 निवासी ग्राम तेलरईकुड़ा तहसील व जिला बेमेतरा द्वारा ग्राम तेलरईकुड़ा प.ह.नं. 37 तहसील व जिला बेमेतरा स्थित भूमि खसरा नं. 46, 83/1, 94/1, 94/4, 136, 164, 181, 184, 194, 203, 205, 238, 304, 324, 356, 366, 4: 0.51, 2.08, 1.92, 0.362, 1.11, 0.04, 0.81, 0.03, 0.16, 1. 4, 9.3, 0.91, 2.56, 0.38, 2.88, 0.59 है. कुल खसरा नं. 16 कुल रकबा 25.000 हे. भूमि जो राजस्व अभिलेख में भूखंडसिंह पिता गणेश के नाम पर कृषि भूमि भूमिस्वामी हक मे दर्ज है। आवेदिकागण द्वारा उक्त आवेदित भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 03.11.2016 को हो जाने से उक्त आवेदित भूमि के राजस्व अभिलेख से मृत खातेदार का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसो के नाम पर पौती नामांतरण किये जाने आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
अतएव उपरोक्त आवेदित भूमि का पौती नामांतरण किये जाने मे जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा / आपत्ति हो, तो दिनांक 31/08/26 तक अपना दावा /आपत्ति कर सकते है। तत्पश्चात् बाद मे प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 13/08/26 को मेरे स्वतः के हस्ताक्षर से न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
 तहसीलदार बेमेतरा
 सुहर

!न्यायालय तहसीलदार, तहसील – नवागढ़ जिला बेमैतरा (छ.ग.)!!
// ईश्रतहार //
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रिधो पिता राधे जाति तेली निवासी ग्राम लालपुर तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा छ०ग० के द्वारा इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक के पिता राधे पिता कन्हई का मृत्यु दिनांक 27/09/2002 को ग्राम लालपुर तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा में होना बताया गया है, अज्ञानता वश उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है, अब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है, ग्राम पंचायत गनिया को मृत्यु पंजीयन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जावे।
अतएव उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/08/26 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 13/08/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
 तहसीलदार नवागढ़

!न्यायालय तहसीलदार, तहसील – नवागढ़ जिला बेमैतरा (छ०ग०) !!
// ईश्रतहार //
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बराती पिता आत्मा राम जाति तेली निवासी ग्राम लालपुर तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा छ०ग० के द्वारा इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक के दादा इन्दे राम पिता कन्हई का मृत्यु दिनांक 04/09/2003 को ग्राम लालपुर तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा में होना बताया गया है, अज्ञानता वश उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है, अब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है, ग्राम पंचायत गनिया को मृत्यु पंजीयन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जावे।
अतएव उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/08/26 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 13/08/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
 तहसीलदार नवागढ़

!न्यायालय तहसीलदार, तहसील – नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ०ग०) !!
// ईश्रतहार //
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतोष साहू पिता जीवन साहू जाति तेली निवासी ग्राम मुरता तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा छ०ग० के द्वारा इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक के पुत्री देवकुमारी साहू का जन्म दिनांक 24/08/2020 को ग्राम मुरता तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा में हुआ है, अज्ञानता वश उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा जन्म पंजीयन ग्राम कोटवार / थाना / नगर पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है, अब जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है, ग्राम पंचायत पंचायत/नगर पंचायत /जनपद पंचायत मुरता को जन्म पंजीयन कर जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जावे।
अतएव उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 20/08/26 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 06/08/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
 तहसीलदार नवागढ़

न्यायालय तहसीलदार बेमैतरा, तहसील व जिला – बेमैतरा (छ.ग.)
// ईश्रतहार //
क्र. / प्र.1/ तह. / 2026 बेमैतरा, दिनांक..
रा. प्र. क्र., ब- 121 वर्ष 2025-26
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र कुमार पिता स्व. हिरउ निवासी ग्राम तिलरईकुड़ा तहसील व जिला बेमेतरा के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपने माता भागमती पति हिरउ के मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया गया है। जिनकी मृत्यु दिनाँक 19.03.2017 को ग्राम तिलरईकुड़ा तहसील व जिला बेमेतरा में होना और भूलवश मृत्यु का पंजीयन नहीं करा पाना बताया गया है।
उक्त आवेदन पत्र के संबंध में जिस किसी को दावा / आपत्ति हो तो वे नियत पेशी तारीख 22/08/26 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी दावा / आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनाँक 11/08/26. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर सहित ईश्रतहार जारी।
 तहसीलदार बेमेतरा
 सुहर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी करपावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग.)
// उद्घोषणा //
रा.प्र.क्र. 2588/ब-121/2025-2026
इस उद्घोषणा के जरिये आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुकमती पति स्व. गोवर्धन जाति भट्टरा ग्राम पोलेबेड़ा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर द्वारा आवेदक स्वयं अथवा अपने रिश्तेदार स्व दामोदर पिता लक्ष्मीनाथ निवासी स्व. तहसील करपावण्ड जिला बस्तर छ.ग. का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया गया है।
अतः आवेदक के रिश्तेदार स्व. दामोदर पिता स्व. लक्ष्मीनाथ निवासी ग्राम पोलेबेड़ा का दिनांक 08/01/2009 को मृत्यु हुई है। आवेदक सुकमती पिता स्व. गोवर्धन जाति भट्टरा ग्राम पोलेबेड़ा तहसील करपावण्ड जिला बस्तर आवेदक स्वयं अथवा आवेदक के रिश्तेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा पेश करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिकता के माफ्त प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 18/08/2026 तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत पेशी तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।
आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की से जारी किया गया।
 कार्यपालिक तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी करपावण्ड, जिला बस्तर
 सुहर

!न्यायालय तहसीलदार, तहसील – नवागढ़ जिला बेमैतरा (छ.ग.)!!
// ईश्रतहार //
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सरजू पाल पिता फेरहा पाल जाति गड़रिया निवासी ग्राम नांदल तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा छ०ग० के द्वारा इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक के दादी गंगा बाई पाल पति बुदू राम पाल की मृत्यु दिनांक 17/08/2004 को ग्राम नांदल तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा में होना बताया गया है, अज्ञानता वश उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है, अब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है, ग्राम पंचायत नांदल को मृत्यु पंजीयन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जावे।
अतएव उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/08/2/ को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 06/08/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
 तहसीलदार नवागढ़

